न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 93/2020
GCMS NO. : 2020/00129

–:: प्रार्थी ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. अशोकनाथ पुत्र ऊंकार नाथ 2. अर्जून नाथ पुत्र ऊंकार नाथ जातियान– नाथ, निवासीगण– बाझांकुड़ी तहसील जैतारण, जिला– पाली(राज0)		1. पुखनाथ पुत्र शिवनाथ 2. देवेन्द्र नाथ पुत्र पुखनाथ जातियान– नाथ, निवासीगण– बाझांकुड़ी तहसील जैतारण, जिला– पाली(राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 30/07/2020**

उपस्थितः. 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 02/02/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा बांझाकुड़ी, पटवार हल्का– बांझाकुड़ी, तहसील– जैतारण जिला– पाली में स्थित खसरा नम्बर 1039 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है। जिसके वक्त सेटलमेन्ट के समय काबिज खातेदार काश्तकार सायलान के दादा अमरनाथ वल्द माधुनाथ जी थे। उनके देहान्त के उपरान्त जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के उक्त भूमि सायलान के पिता ऊंकार नाथ जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई रही एवं मौके पर भी ऊंकार नाथ का हक अधिकार चला था। तन्दुपरान्त ऊकार नाथ का देहान्त हो जाने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन उक्त भूमि सायलान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई व मौके पर भी सायलान का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा तथा इस भूमि के मिसल बन्दोबस्त व वर्तमान चौसाला जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर की इस विवादित भूमि के एक मात्र रेकडर्ड काबिज खातेदार काश्तकार ही है तथा सायलान के अलावा गैरसायलान या अन्य किसी [illegible] का इस विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई हक [illegible] के बावजूद भी गैरसायलान आये दिन सायलान के इस विवादित भूमि [illegible] वाले कब्जे काश्त की बात को लेकर लड़ाई झगड़ा व विवाद करने पर आमादा है। सायलान दोनो ही राजकीय सेवा में पदस्थापित होने की वजह से गैरसायलान अपने परिवार की औरतो को आगे करते हुये उनके द्वारा विवाद करवाने की कुचेष्टा कर रहे है तथा मौके पर विवाद होने की सूरत में सायलान को झूठे मुकदमो में फसाने

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:54 IST
Reason: SelfAttested

ही धमकीया भी देते है। जबकि विवादित भूमि निर्विवाद रूप से सायलान की ही है। इस प्रकार इस वर्ष जुलाई माह में बारिश होने पर सायलान ने तिल्ल की फसल बोई तन्दुपरान्त दिनांक दिनांक 16.07.2020 को मौके पर सायल अशोक नाथ मौके पर गया तो गैरसायलान ने विवाद करते हुये सायलान के हक हिस्से की इस विवादित भूमि पर पत्थर डलवाकर कब्जा करने का प्रयास किया जो समझाईश के उपरान्त भी नही मान रहे है। इस प्रकार से यदि गैरसायलान अपने इस दुष्कृत्य में सफल होकर सायलान को कब्जे काश्त की भूमि पर अपना कब्जा कर लेते है, तो सायलान अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें। जिससे सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। साथ ही सायलान इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में गैरसायलान के ऐसे अवैधानिक कृत्यों का विरोध करेंगे। जिससे विवाद बढेगा एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी, तथा गैरसायलान ने दिनांक 16.07.2020 को भी मौके पर लड़ाई-झगड़ा व विवाद किया है। तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों एंव परिस्थितियों एवं दस्तावेजात के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है तथा उक्त भूमि सायलान की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की होने से इस भूमि के सम्बन्ध में गैरसायलान के विरुद्ध यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है। इसलिए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय का जारी फरमायें कि इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बर 1039 रकवा 02 बीघा 05 बिस्वा की विवादित भूमि में सायलान बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं एवं पारिवारीक सदस्य हाली ऐजेन्ट रिस्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। ऐसा करने से गैरसायलान को वाद के अन्तिम निस्तारण तक के लिये रोका जावें।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बार बार आवाज दिलाई एवं बावजूद नोटिस तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी/प्रार्थी की सुनी गई।

बहस वकील प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:54 IST
Reason: SelfAttested

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 ग्राम बांझाकुड़ी के अनुसार खसरा संख्या 1039 रकबा 02-05 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वाद प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया है कि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी को किसी क्षति कारित किये जानें की प्रबल आशंका विद्यमान है, साथ ही प्रार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह बिन्द प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- चुंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होना नहीं पाया गया है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :- प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य एवं दस्तावेजात् प्रस्तुत नहीं किये हैं। जिससे यह विश्वास करनें का कारण हो कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को क्षति कारित करनें की प्रबल आशंका विद्यमान हों साथ ही पूर्वचित बिन्दू संख्या 01 व 02 प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुये है। अतः बिन्दू भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया विफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित न होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 02/02/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.07.01 17:39:54 IST
Reason: SelfAttested